# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)**

**अपील संख्या : 2022/103**

1. राधेश्याम आत्मज छोगालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज०।
2. भोलाशंकर आत्मज छोगालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज० ।
3. हेमराज शर्मा आत्मज छोगालाल जाति ग्राहमण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज हाल निवासी मालियों के नोहरे के पास ग्राम छत्रपुरा तहसील एंव जिला बून्दी राज०।
4. सुरेश कुमार शर्मा आत्मज छोगालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी राज० हाल निवासी नवजीवन संघ कॉलोनी गेट नम्बर 3, के सामने सुभाष नगर बून्दी राज०।

**—अपीलान्ट**

**बनाम**

1. अंजनी कुमार शर्मा आत्मज रविदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बाँसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज०।
2. अशोक कुमार शर्मा आत्मज रविदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बॉसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज० ।
3. जगदीश प्रसाद शर्मा आत्मज रविदत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बॉसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज० ।
4. भू–स्वामी तहसीलदार साहब, नैनवां जिला बून्दी राज० ।

**—रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री शिव तोषनीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 से 03 की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः 27.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 60/2020 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र रास्ता घोषित करने अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम बांसी तहसील नैनवा मे कृषि भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा संख्या 489 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा खसरा संख्या 490 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा संख्या 497 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 499 रकथा 2 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 500 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा स्थित है। यह कि खसरा संख्या 495 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. चाह जो प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण का सम्मिलित चाह है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 2/3 है। जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता रविदत्त शर्मा का नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस प्रार्थीगण ही है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 मे स्थित कृषि भूमि प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है जिसको प्रार्थीगण ने वर्तमान मे फसल बोने के लिए हांक जोत कर तैयार कर रखा है। प्रार्थीगण कुए व खेत पर आम रास्ते से अपने खेत 499 व 500 से होता हुआ खसरा स ख्या 493 व 496,494 मे से गुजरता हुआ अपनी चाह 495 पर पहुंचता है। चाह से प्रार्थीगण अपने खसरा संख्या 488,489,490 में पहुंचता है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय ही निर्बाध निरन्तर खुल्लमखुल्ला प्रत्यार्थीगण के ज्ञान मे उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। प्रत्यार्थीगण ने खसरा नम्बर 493 चारागाह को फाडकर अपने खेत में मिला लिया व गै.मु. चाह खसरा नम्बर 495 की भूमि को भी फाडकर अपने खेत में मिला लिया और प्रार्थीगण का रास्ता 494,496 मे भी बंद कर दिया इस रास्ते को प्रार्थना पत्र मे विवादित रास्ते के नाम से पुकारा जायेगा। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रत्यार्थीगण ने गत सप्ताह से परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से अंकित रास्ते को फाडकर अपने खेत में मिला कर उक्त रास्ते को पुर्णतः बंद कर दिया। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते बाबत प्रत्यार्थीगण को ओलमा दिया तो प्रत्यार्थीगण उत्तेजित हो गये कहने लगे कि यहां तुम्हारा कोई रास्ता नही है हम तुम्हे यहां से नहीं निकलने देगें। तुम्हारे जमें जिधर से आओ इस रास्ते को तो हमने बंद कर दिया है हम कुछ नहीं जानते प्रत्यार्थीगण उत्तेजित हो गये गाली गलोच करने लगे मारपीट पर उतारू हो गये। प्रत्यार्थीगण द्वारा रास्ता अवरुद्ध करने के कारण प्रार्थीगण का कुंए व खेत पर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जिसको श्रीमान द्वारा तहसील कार्यालय मे भेजा गया जहां पर पटवारी ने यह रिपोर्ट दी कि प्रार्थीगण के कुए व खेत पर जाने का रास्ता बंद हो गया है कहीं से भी गै.मु चाह व खेत पर जाने का रास्ता शेष नही रहा है और इस रास्ता बहाली हेतु वाद पेश करने का सुझाव दिया। रास्ता को बहाल करने व रास्ते को 20 फीट तक चौड़ा करने मे जितनी भी भूमि जिस खातेदार की आती है प्रार्थीगण उसका उचित मुआवजा देने को तैयार है। वर्तमान मे प्रार्थीगण के खेत व कुये पर जाने का किसी भी तरफ से जाने का कोई रास्ता नही है। अन्त मे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथा नक्शा परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से वर्णित रास्ते को 20 फीट चौड़ा कराकर रास्ता घोषित कराने एवं राजस्व नक्शा ट्रेस मे रास्ते की तरमीम किये जाने का निवेदन किया। साथ अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी

करने कि वे विवादित रास्ते पर कोई अवरोध नही डाले, रास्ते को अवरुद्ध नही करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के रास्ते पर आने जाने ट्रेक्टर–ट्रोली लाने ले जाने आवागमन करने रास्ते के उपयोग व उपभोग में कोई हस्तक्षे न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.10.2021 द्वारा ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 488,489,490,497,499,500 कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर खसरा नम्बर 492 रकबा 0–08 बिस्वा सिवायचक बंजड में से 784 वर्गफीट क्षेत्रफल का जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है. के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये और तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया गया कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जायें।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी 01 लगायत 04 ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.10.2021 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। अतः उक्त दस्तावेजों को शामिल पत्रावली कर रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड व सरकारी दस्तावेजों की फोटोप्रतियॉ है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि आदरणीय अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय वस्तुस्थिति एंव विधान के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। खसरा संख्या 508 गै०मु०रास्ता है जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में हो रहा है, रेस्पोटेंडन्ट/प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है और रास्ते की भूमि एवं खसरा संख्या 501 चारागाह की भूमि को अवैधानिक रूप से अपने खाते की भूमि में मिला लिया है इस हेतु अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा पृथक से कार्यवाही की जावेगी। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण एंव रेस्पोटेडन्ट/प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमियों में आने जाने, हल कुली ट्रेक्टर ट्रोली गाडी बेल आदि लाने व ले जाने के लिए सदैव से खसरा संख्या 508 गै०मु० रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण खसरा संख्या 508 गै०मु०रास्ते से खसरा संख्या 507,502,501 व 493 के सहारे सहारे अपने खाते की कृषि भूमियों में आते जाते है। हल कुली गाडी बेल ट्रैक्टर ट्रोली लाते ले जाते है। रेस्पोटेडन्ट/प्रार्थीगण उक्त रास्ता बन्द कर दिया है जिससे अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण को अपने खाते की कृषि भूमियों आने जाने हल कुली आदि लाने ले जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है। रेस्पोटेडन्ट/प्रार्थीगण की कृषि भूमियां खसरा संख्या 508 गै०मु०रास्ते के अडवा ही है रेस्पोटेडन्ट/प्रार्थीगण की खाते की कृषि भूमियों में जाने का सुगम, सुलभ व सरल रास्ता होने के बावजूद अवैधानिक तरीके से राजस्व कर्मचारीयों की मिली भगत से उक्त नया रास्ता दिये जाने का उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। शिविर में केवल हमारी उपस्थिति के हस्ताक्षर है। अतः कैम्प–कोर्ट में बिना सुनवाई तथा बिना बहस के एकतरफा निर्णय किया गया है। जो रास्ता दिया गया है उसके आगे कोई जोड़ता हुआ रास्ता नहीं है। नहर को रास्ते के रूप में बता दिया गया है। नहर में से दिए गए रास्ते पर कैसे पहुचेंगे? नहर के पास कोई रास्ता नहीं है। नहर के साथ–साथ रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 508 से आगे इनकी भूमि ही लगती है तथा ये वहॉ से आते–जाते रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। अन्त में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

8. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त उनवान की अपील में अपीलान्ट माननीय न्यायालय का लिखित बहस के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा के समक्ष अपनी स्वयं की कृषि आराजी खसरा नम्बर 488,489,490,497, 499,500, कुल किता 6 की 14 बीघा । बिरया भूमिं वाके ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी के सम्बन्ध में रास्ता बाबत प्रार्थनापत्र धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत सम्पूर्ण नियमों की पालना करते हुये

तहसीलदार नैनवा से रास्ते बाबत रिर्पोट प्राप्त की गई. और कोर्ट केम्प बांसी में उपस्थिति बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी को नोटिस जारी किये, नोटिस दिनांक 20–10–2021 को बाद तामील प्राप्त होने पर सलंग्न पत्रावली कर तहसीलदार की रिर्पोट का अवलोकन कर रास्ते के बाबत् माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट को अपनी उक्त कृषि आराजी में आने–जाने के लिये रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी पर रास्ता नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये रेस्पोडेन्ट को जो रास्ता दिया है, वह किसी भी खातेदार की भूमि पर नहीं है। अपीलान्टगण किसी भी प्रकार से अपील प्रस्तुत करने के भी अधिकारी नहीं है, उनके कोई हित प्रभावित नही हुये है। सूचना के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ, जिसके सम्मन नोटिस माननीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर है, उसके बाद ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। जिस खसरा नम्बर पर होते हुये रास्ता दिया है, वह खसरा नम्बर 492 जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक बंजड दर्ज है, पूर्ण रूप से सरकारी भूमि है में से 784 वर्गफिट क्षेत्रफल की भूमि रास्ते के लिये उपयोग के लिये जाने का आदेश पारित किया है, और जितनी भूमि रास्ते के रूप में काम आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में कायम करने का आदेश दिया गया है। जिसकी पालना में प्रार्थी ने प्रतिकर की राशि सरकारी खजाने में जर्ये चालान दिनांक 17–11–2021 को जमा करवा दी, जिसकी रसीद संलग्न है, और राजस्व रिकार्ड में माननीय तहसीलदार महोदय ने नक्शे में अंकन कर खसरा नम्बर 492 के सहारे मैंन रोड से रास्ता भी कायम कर दिया, जिसका अंकन जमाबन्दी में दर्ज कर मिन्ट नम्बर डाले जाकर खसरा नम्बर 3917/492 बनाया गया, और शेष सिवाय चक आराजी का मिन्ट नम्बर 3918/492 रखा गया, इस प्रकार उक्त निर्णय की सम्पूर्ण पालना राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित नहीं है, जब किसी का हित प्रभावित नहीं है तो उसे अपील का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने अपने हितों के बारे में किसी भी प्रकार से कोई स्पष्ठ अंकन नहीं किया है। रास्ते के विवाद बाबत् प्रार्थनापत्र का निर्धारण समरी ट्रायल के आधार पर होता है, इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं की है, प्रस्तुत अपील पूर्णतयाः मियाद बाहर है। मियाद के बारे में भी कोई स्पष्ट अंकन नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स उपस्थित रहे है, और उनको प्रार्थनापत्र की समस्त कार्यवाही एवं निर्णय की जानकारी रही है। मियाद के बिन्दु को अनदेखा नहीं किया जा सकता, अपील मियाद बाहर होने. से भी खारिज होने योग्य है। अपीलांटगण का यह कथन गलत है कि हमारी आराजी से ही हमारे खेत की आराजी संख्या 495 पर पहुंचा जा सकता है। खसरा नम्बर 495 पर पहुंचने हेतु जो रास्ता अपीलांट बता रहे है, उस रास्ते में बीच में खसरा नम्बर 493 गैर.मु. चारागाह पड़ती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने चारागाह में से रास्ता नहीं देना उचित समझा क्योंकि यह लम्बा भी था तथा चारागाह में से होकर भी जाता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा जो रास्ता बताया जा रहा है वह चारागाह पर जाकर अवरूद्ध हो जाता है। नहर के साथ–साथ मौके पर रास्ता है, जिससे हम आसानी से दिए गए रास्ते तक पहुंच सकते है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2018–19 (Supp.) पेज

नं0 511–514, आर. आर. टी. 2022 (1) पेज नं0 556–562, 177–179, 196–205 व आर. आर. टी. 2022(2) पेज नं0 830–833 पेश किया। अंत में अभिभाषक रेस्पो0 ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खसरा नम्बर 493 रकबा 13 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2072 के अनुसार खसरा नम्बर 492 रकबा 8 बिस्वा भूमि(बंजड़) सिवायचक खाते सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अुनसार खसरा संख्या 488 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा संख्या 489 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा खसरा संख्या 490 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा संख्या 497 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 499 रकथा 2 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 500 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर रविदत्त आत्मज बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण के खाते दर्ज है। संलग्न नकल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 में खसरा नम्बर 495 की 5 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 498 की 4 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा , खसरा नम्बर 836 की 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 कुल रकबा 11 बिस्वा भूमि राधेश्याम, भोलाशंकर, हेमराज, सुरेश आत्मज छोगालाल हिस्सा 1/3 रविदत्त आत्मज बजरंगलाल हिस्सा 2/3 जाति ब्राहम्ण के नाम खाते दर्ज है। न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में फोटोप्रति सत्य प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस ग्राम बासी तहसील नैनवां जिला बून्दी का है। फोटोप्रति ई–चालान दिनांक 17.11.2021 की है। फोटोप्रति फर्द रास्ता बहाली मु0 बासी दिनांक 18.07.2022 की है। फोटोप्रति नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपी) ग्राम बांसी तहसील नैनवां की है खसरा नम्बर 3917/492 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 01.07.2020 के अनुसार "खसरा नम्बर 495 पर जाने के लिए कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।" एक रिपोर्ट पटवारी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.03.2021 संलग्न है जिसके आधार पर तहसीलदार के पत्र दिनांक 24.03.2021 से उपखण्ड अधिकारी नैनवां को पत्र दिनांक 24.03.2021 को प्रेषित किया गया। उक्त दोनो रिपोर्ट में पूर्व से कोई वैकल्पिक मार्ग होना अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 14.10.2020 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिंग दिया जाना अंकित है। आदेशिका दिनांक 01.03.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.10.2021 से स्पष्ट है कि कैम्प–कोर्ट में प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए थे तथा उनके हस्ताक्षर भी आदेशिका पर अंकित है। अतः इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण को प्रकरण की जानकारी थी। अधिवक्ता अपीलांट का बार–बार तर्क रहा है

कि प्रश्नगत भूमि पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है। परन्तु पटवारी रिपोर्ट दिनांक 01.07.2020 की तथा भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 23.03.201 अनुसार प्रश्नगत भूमि पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकॉर्ड में नहीं है। तहसीलदार नैनवां द्वारा उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रेषित पत्र में भी कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकॉर्ड में नही है तथा किसी अन्य वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में काई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य भी अपीलांटगण ने प्रस्तुत नहीं किया । अतः वैकल्पिक रास्ते का अभाव प्रतीत होता है। स्वयं अपीलांट ने भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां मे वास्ते रास्ता चाहने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। यह एक तथ्य है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट तथा प्रत्यर्थीगण अपीलांट की भूमि की सीमा आपस में लगती है। अतः यह स्पष्ट है कि मौके पर रास्ते की समस्या है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर संक्षिप्त जांच कर नियमानुसार रास्ता कायम किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कार्मिकों तथा भू–धारक सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट व पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 492(बंजड़) सिवायचक भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ता प्रदान करने का आदेश दिया है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि खसरा नम्बर 492 सिवायचक में अपीलांटगण का कोई लोकस–स्टैण्डाई नहीं बनता तथा सिवायचक भूमि में अपीलांट के कोई हित प्रभावित नहीं होते। हमारे मत में स्वयं तहसीलदार ने सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 492 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर 492 सिवायचक में अपीलांट का कोई लोकस–स्टैण्डाई नहीं बनता है। अतः खसरा नम्बर 492 सिवायचक में अपीलांट के कोई हित प्रभावित नहीं होते है तथा खसरा नम्बर 492 सिवायचक की भमि पर अपीलांटगण को कोई आपत्ति होना भी उचित प्रतीत नहीं होता। यहां यह रेखांकित किया जाना उचित होगा कि जिस खसरा नम्बर 495 पर पहुंचने हेतु रास्ता मांगा गया है, वह पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 492 सिवायचक में से जो रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया है वह रास्ता सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में आता है तथा इसका उपयोग–उपभोग उभयपक्षकारान कर सकते है। प्रशासन गावों के संग अभियान में काश्तकारों की रास्ते सम्बंधी समस्याओं को भी सुलझाने के निर्देश दिए गए है। इसी सन्दर्भ में राजस्व कार्मिकों व तहसीलदार द्वारा सिवायचक भूमि में से रास्ता कायम करने का प्रस्ताव दिया जाना प्रतीत होता है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 8 बिस्वा में से 784 वर्गफीट क्षेत्रफल की भूमि रास्ते के उपयोग हेतु दी गई है, जिसे दिये जाने में अपीलांट का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 से सहमत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा